Component wise Details of Construction Work

Part 1.

1- Hill cutting and filling.
2- Construction of Scupper

Part 2.

1- Construction of parapet.
2- Construction of R/B wall.
3- Construction of Km. Stone, Hec. Stone, Edge Stone.
4- Soiling to remove defects.
5- Construction of katcha drain

Improvement.

1- Soiling
2- Inter Coat
3- Top Coat
4- Surface Course.
5- Construction of pucca Drain
6- Crash barriers/Delinators
7- Road Marking
8- Sign Boards.

प्रपत्र–14

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

ampbanerjee57@gmail.com

प्रपत्र–26

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आर0 सी0 यू0–
34 / सड़क संरेखन / कुमायूँ / 2013

जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लंबाई 2.00 कि0मी0, सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

अगस्त,2013

जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लंबाई 2.00 कि0मी0, सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रस्तावना:

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के अधीन तोली से मैचून तक मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 08/08 /2013 को ई0 बी0 सी0 जोशी, सहायक अभियन्ता, एवं ई0 एन0 सी0 उपाध्याय, अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण–स्थल की सरंचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि प्रस्तावित भू–भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिए जा सकें।

2.स्थिति:

प्रस्तावित सड़क संरेखन अल्मोड़ा–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 24 के हेक्टा 6–8 से प्रारम्भ होता है एवं मैचून गॉव से पहले खेतों पर समाप्त होता है। स्थिति के लिए मानचित्र एवं फोटोग्रॉफ संलग्न हैं।

3.भूगर्भीय स्थिति:

प्रस्तावित सड़क संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के अन्तर्गत कुमॉयू क्षेत्र मे स्थित है। प्रस्तावित भू–भाग में अल्मोड़ा क्रिस्टलाइन समूह की गुमालीखेत फारमेशन की चट्टाने दृष्टिगोचर होती हैं, जो बायोटाइट क्वार्टजाइट तथा सिरिसाइट सिस्ट की इण्टरबेडेड हैं। इन चट्टानों पर किया गया भूगर्भीय अध्ययन इस प्रकार है।

1. 40–220 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	12^0	दक्षिण पूर्व	नति
2. 70–250 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	15^0	दक्षिण पूर्व	नति
3.140–320 दक्षिण पूर्व–उत्तर पश्चिम	14^0	उत्तर पूर्व	नति
4. 30–210 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	82^0	दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
5.100–280 पूर्व दक्षिण पूर्व–पश्चिम उत्तर पश्चिम	74^0	उत्तर पूर्व उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
6.170–350 दक्षिण पूर्व दक्षिण–उत्तर पश्चिम उत्तर	82^0	पश्चिम दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
7. 50–230 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	80^0	उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
8. 40–220 उत्तर पूर्व–दक्षिण पश्चिम	90^0	वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन

भाग मे स्थित चट्टानें 12^0 से 15^0 के मध्य दक्षिण पूर्व दिशा की ओर झुकी हैं एवं इन चट्टानों पर 5 सेट से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

4.स्थल वर्णनः

प्रस्तावित सड़क संरेखन अल्मोडा–घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 24 के हेक्टा 6–8 से प्रारम्भ होता है एवं 2.00 किमी के लम्बाई के पश्चात् मैचून गॉव से पहले नाले के पास स्थित खेतों पर समाप्त हो जाता है।यह संरेखन पहाड़ी के सामान्य श्रेणी के पहाड़ी ढलान पर पस्तावित है जो दक्षिण पूर्वी है। यह संरेखन 3 सूखे नालो से होकर गुजरता है। सड़क संरेखन का अधिकांश भाग निजी नाप कृषि भूमि पर प्रस्तावित है। प्रारंभ में यह संरेखन मनीआगर, गिरचौला, नगरखान पैदल मार्ग के ऊपर से होकर गुजरता है इसके पश्चात् तोली गॉव के मध्य तथा खेतों से 6 हैयर पिन बैण्ड्स की सहायता से मैचून गॉव की ओर जाता है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 0.00–0.050 कि0मी0 तक 1:24 के फाल, 0.050–0.125 कि0मी0 तक 1:20 के फाल, 0.125–0.175 कि0मी0 तक 1:40 के फाल, 0.175–0.225 किमी0 तक 1:24 के फाल, 0.225– 0.250 किमी0 तक 1:40 के फाल, 0.250–0.675 किमी0 तक 1:22 के फाल, 0.675–0.750 किमी0 तक 1:20 के फाल, 0.750–0.800 किमी0 तक 1:40 के फाल, 0.800–0.850 किमी0 तक 1:24 के फाल, 0.850–0.900 किमी0 तक 1:22 के फाल, 0.900–0.925 किमी0 तक 1:40 के फाल, 0.925–1.025 किमी0 तक 1:18 के फाल , 1.025–1.075 किमी0 तक 1:20 के फाल, 1.075–1.100 किमी0 तक 1:40 के फाल, 1.100–1.725 किमी0 तक 1:22 के फाल, 1.725–1.750 किमी0 तक 1:40 के फाल, 1.750–2.000 किमी0 तक 1:22 के फाल में प्रस्तावित है। इस सड़क संरेखन में 6 हेयर पिन बैण्ड्स कि0मी0 0.175, 0.250, 0.800, 0.925, 1.100 तथा 1.750 पर प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू–भाग की भूगर्भीय स्टेट्रीग्राफी इस प्रकार है।

मिटटी की परत
डेब्रिस
बायोटाइट क्वार्ट्जाइट
फिलाइट
क्लोराइट सिस्ट
बायोटाइट क्वार्ट्जाइट

5. स्थाईत्व का विचारः

प्रस्तावित सड़क संरेखन के स्थल की संरचना,बनावट,भूकम्पीय भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन में 3 सूखे नाले हैं।
3. पहाड़ी ढ़लान सामान्य ढ़लान श्रेणी के अन्तर्गत हैं।
4. संरेखन का भाग निजी नाप भूमि , निजी वंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
5. भूकम्प की दृष्टि से भू–भाग जोन IV के अन्तर्गत है।
6. संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:24 के फाल,1:20 के फाल, 1:22 के फाल, 1:24 के फाल तथा 1:18 के फाल पर प्रस्तावित है।
7. संरेखन का अधिकांश भाग कृषि भूमि से होकर गुजरता है।
8. इस संरेखन में स्थित चट्टानें बायोटाइट क्वार्ट्जाइट तथा फिलाइट की हैं।
9. संरेखन में 6 हेयर पिन बैण्ड्स भी प्रस्तावित हैं।
10. संरेखन गॉव के मध्य से होकर गुजरता है।

6.सुझावः

प्रस्तावित सड़क संरेखन के स्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1 .सूखे नालों पर स्कपर एवं काजवे का निर्माण किया जाय।
2 गॉव के आस–पास मोटर मार्ग का निर्माण हाफ कट–हाफ फिल विधि से किया जाय।
3. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय एवं पानी की निकासी का विशेष ध्यान रखा जाय।
4. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किए जाय।.
5. नाप कृषि खेतों पर रिटेनिंग वाल का निर्माण किया जाय।.
6.. आवश्यकतानुसार ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
7. पर्वतीय क्षेत्रों मे बनने वाले मोटर मार्गो के निर्माण के लिए निर्धारित

सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियो का पालन किया जाय।

8. गॉव के आस–पास विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
9. हेयर पिन बैण्ड्स को मानकों के अनुरूप बनाया जाय।

7.निष्कर्ष:

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए तोली से मैचून तक मोटर मार्ग का 2.00 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी:

सड़क संरेखन स्थल के निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों के समक्ष विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया जिसमें 8 हैयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित हैं को उचित एवं उपयुक्त नहीं पाया गया ।

आर0सी0उपाध्याय
भूवैज्ञानिक

(आर.सी. उपाध्याय)
भू-वैज्ञानिक
हिमाद्री-भू, रानीधारा टाप
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र–28

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(ii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iii) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iv) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रपत्र–29

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

:मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्रः

:मानक शर्तेः

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक

विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।

17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–27

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–30

(43)

परियोजना का नाम – जनपद–अल्मोडा में विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

वन दरोगा
जागेश्वर रेंज सि0सो0
वन प्रभाग अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

03-4-14
तहसीलदार

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र नाकोट,
तह०–अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

उप जिलाधिकारी सदर
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

तहसीलदार
अल्मोड़ा

प्रपत्र–31

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रपत्र–32

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिटटी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिटटी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रपत्र–33

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीयग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	तोली	332	60
2	मैचून	249	40
3	जाल बगड़ी	59	15
योग		640	115

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र-33 (a)

(44)

लाभान्वित होने वाले ग्राम/जनसंख्या प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-अल्मोडा में विधानसभा जागेश्वर के अर्न्तगत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (ल0 2.00 किमी0) से लगभग निम्नलिखित ग्रामों की जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

लाभान्वित ग्रामो का विवरण

क0स0	ग्राम	जनसंख्या
1	तोली मैचून जालबगड़ी	332 241 59
कुल लगभग	ग्राम 3	जनसंख्या 640

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

वन दरोगा
जागेश्वर रेंज सि0सो0
वन प्रभाग अल्मोडा

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

प्रपत्र-42

परियोजना का नामः- अल्मोड़ा जनपद अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग (ल0 2.0 किमी0) मोटर मार्ग।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व 0.2 Ha.
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 657000=00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.215 हैक्टे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 141255=00 मात्र (रु0 एक लाख इकतालीस हजार दो सौ पचपन मात्र)

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
... वन प्रभाग
अल्मोडा

नोट :-उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक लिंक मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता.
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रपत्र–34

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली से मैचून तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी0)

वन भूमि के मूल्य /वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मल्य रूपये **630000/–** प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 0.215 हे0 वन भूमि का कुल मूल्य रूपया **135450/–** होता है। ~~उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट ....x..... प्रतिशत की दर से रूपये– होता~~ है।

15.09.14
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी सदर,
अल्मोड़ा

प्रपत्र–44

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली–मैचून मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊ0				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना								
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना								
4	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
5	पानी की ढुलाई आदि								
	कुल योग								

Nil

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र जागेश्वर
सि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

Undertaking of user agency to bear the cost of demarcation work

परियोजना विवरणः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में तोली से मैचून मोटर मार्ग का निर्माण।
(ल0 2.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि सीमांकन हेतु पिलरों के निर्माण की धनराशि को याचक विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कोई आगणन प्रस्तुत किया जायेगा। उसकी धनराशि विभाग द्वारा वन विभाग उपलब्ध कर दी जायेगी।

प्रयोक्ता एजेन्सी